

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर
क्रमांक आर.ए./रूपा0/20/9/

दिनांक 22/7/2020

संपरिवर्तन आदेश

स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा व शोध संस्थान गोविन्दगढ के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा व शोध संस्थान गोविन्दगढ।
2	क्या आवेदक अनु० जाति / अनु० जनजाति का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील (ख)भूमि का खसरा संख्या एवं प्रत्येक ख०स० का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	गोविन्दगढ ,गोविन्दगढ , चौमूं। ख०न० 1896/1897 रकबा 0.3372 है०, ख०न० 0.0817 है०, ख०न० 1886/1890 रकबा 0.8138 है०, ख०न० 1679 रकबा 0.1505 है०, ख०न० 1883 -1902 रकबा 0.3333 है०, ख०न० 1867 रकबा 0.1208 है०, ख०न० 1892/1893/1895/1898/1901 रकबा 0.5587 है०, ख०न० 2200/2202/2203/ 2204/2272 रकबा 0.43827 है०, ख०न० 2690 रकबा 0.2028 है०, कुल रकबा 0.69818 है०।
	(ग) प्रत्येक ख० स० के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है० या वर्गमीटर में) टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख०न० 2203/2193 रकबा 0.3080 है० में से 0.2690 है०, ख०न० 1169 रकबा 0.36 है० में से 0.2840 है० किता-02 कुल रकबा 0.5530 है० अर्थात् (5530 वर्गमी०)
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमीयम की दर	85.96 / - प्र०व०मी०
6	चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चा.न. Nil (GRN 40023967) दिनांक 18.06.2020 जमा दिनांक 18.06.2020 से रु० 19,17,050 / - (GRN 41074103) दिनांक 21.07.2020 जमा दिनांक 21.07.2020 से रु० 22,42,454 / - दिनांक 21.07.2020 जमा दिनांक 21.07.2020 से रु० 18,42,050 /- कुल रु० 6,001,554 / -
7	चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
8	चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
	यदि कोई भी आदेश नियमितकरण के लिए विधि 13 के अधीन जारी किया है	---
	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	---



उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला-जयपुर

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जावेगा।
6. आवेदक को जिला स्तरीय समिति से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन करवाना होगा।
7. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 6 (6) राज-6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
8. राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 एव इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्रों/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होंगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर



(हिम्मत सिंह)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौमू (जयपुर)
चौमू जिला-जयपुर

प्रतिलिपि :-

क्रमांक सम/20/92/93

दिनांक 22/7/2020

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमू।
3. ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।
4. आवेदक स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा व शोध संस्थान गोविन्दगढ़।

(हिम्मत सिंह)

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौमू (जयपुर)
चौमू जिला-जयपुर